सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	श्रावण 10, शनिवार, शाके 1942- अगस्त 1, 2020 *Sravana 10, Saturday , Saka 1942- August 1, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 1, 2020

जी.एस.आर. 191 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 के नियम 3 में, विद्यमान उप-नियम (6) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (7) से पूर्व, निम्नलिखित नया उप-नियम (6क) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(6क) आबंटन करते समय गृह समिति, सम्यक् विचार करने के पश्चात् ऐसे सदस्य को उसकी बारी से पहले समुचित आवास आबंटित कर सकेगी जो,-

(i) राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो;

(ii) संघ का केबीनेट मंत्री रहा हो;

(iii) राज्य मंत्री, भारत सरकार रहा हो और कम से कम तीन बार सदस्य रहा हो;

(iv) राज्य का केबीनेट मंत्री रहा हो और कम से कम दो बार सदस्य रहा हो; या

(v) कम से कम दो बार लोक सभा / राज्य सभा का सदस्य रहा हो।"

[सं.एफ.7(2)संसद/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार भारवानी,

प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 1, 2020

G.S.R. :-191 In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) (Second Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 3**.- In rule 3 of the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, after the existing sub-rule (6) and before the existing sub-rule (7), the following new sub-rule (6A) shall be inserted, namely:-

"(6A) While making allotment, the House Committee may, after due consideration, make out of turn allotment of appropriate house to the Member who has been,-

(i) Chief-minister of the State of Rajasthan;

(ii) Union Cabinet Minister;

(iii) Minister of State, Government of India and at least three times Member;

(iv) Cabinet Minister of the State and at least two times Member; or

(v) At least two times Member of Lok Sabha/Rajya Sabha."

[**No. F7(2) Sansad/2020]**
By Order of the Governor,
Vinod Kumar Bharwani,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।